

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी
विशेष सचिव-सह-निदेशक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :

विषय :- जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, जहानाबाद एवं मधुबनी को विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु विद्युत मद से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये) मात्र के व्यय हेतु उपावंटन की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

राज्य के सभी जिलों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय एवं अल्पसंख्यक छात्रावास के निर्माण की योजना ली गई है। अधिकांश जिलों में कार्यालय एवं छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वह संचालित भी है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, जहानाबाद एवं मधुबनी से प्राप्त अधियाचना के आलोक में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, जहानाबाद एवं मधुबनी के विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु विद्युत मद से वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु क्रमशः ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) एवं ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) अर्थात् कुल ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये) मात्र के उपावंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- उपर्युक्त उपावंटित राशि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत बजट मुख्य शीर्ष 2053 जिला प्रशासन उपमुख्य शीर्ष-00- लघु शीर्ष 094-अन्य स्थापनाएँ, उपशीर्ष 0010- अल्पसंख्यक कल्याण जिला कार्यालय विपत्र कोड 30-2053000940010 विस्तृत शीर्ष-13-विद्युत प्रभार विषय शीर्ष-04 विद्युत प्रभार मांग संख्या-30 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, मधुबनी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
- वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि० दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
- उपावंटित राशि के व्यय से संबंधित लेखा विधिवत् संधारित किया जाय तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र व्यय होने के पश्चात् भेजना सुनिश्चित करेंगे।
- इस राशि की निकासी हेतु CFMS से आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस योजनान्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक-4989/वि० (2) दिनांक-16.05.2013 की सभी कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित विपत्र में अपेक्षित होगा।
- वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 का अनुपालन किया जायेगा।
- बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अधीन निहित प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य होगा।
- इस राशि का विचलन अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
- जिस कार्य हेतु राशि उपावंटित की गई है, उसी कार्य में राशि का व्यय किया जायेगा।
- वित्त विभाग, बिहार, पटना के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
- स्वीकृत्यादेश में वर्णित आवंटन पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक- अ0स0क0-01-04/2015 (खण्ड-ख).....

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- अ0स0क0-01-04/2015 (खण्ड-ख).....

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी/जिला कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद एवं मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ई-मेल

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- अ0स0क0-01-04/2015 (खण्ड-ख).....

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- अ0स0क0-01-04/2015 (खण्ड-ख).....

प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, मधुबनी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

ई-मेल

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

पटना, दिनांक- 31/08/26

ज्ञापांक- अ0स0क0-01-04/2015 (खण्ड-ख) 336

प्रतिलिपि:- वरीय प्रभारी, बजट शाखा/आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, मनीष स्वराज अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव-सह-निदेशक

31/8.